

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 148 / 2019

- 1 पाल कौर उर्फ जसपाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 रमनजीत सिंह उर्फ रमनदीप सिंह उर्फ शमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू- राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थीगण)
- 2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक : 01.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 34 के एस डी जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 31/27 प.न. 45/115 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर, कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि. ब. 1/2 हिस्सा आराजी दर्ज कागजात माल है एवं चक 2 वी एन डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 32/24 प.न. 41/119 मु.न. 35 कि.न. 21, प.न.41/120 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 5, 9, 10 में 1.771 है. नहरी मय खाला कुल खाता 2.024 है. नहरी मय खाला आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर, कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि.ब. 1.012 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम पाल कौर व प्रार्थी संख्या 2 का नाम रमनजीत सिंह है जो कि प्रार्थीगण के सही नाम है एव वादाधीन आराजी प्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुयी है जो कि जरिये ईन्तकाल संख्या 303 दिनांक 20.11.2009व इन्तकाल संख्या 317 को दर्ज कागजात हुयी है एव प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी उक्त इन्तकाल से आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम "पाल कौर पत्नी जसकरण सिंह" के स्थान पर "जसपाल कौर पत्नी जसकरण सिंह" दर्ज कर दिया गया है एव इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का नाम "रमनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह" के स्थान पर "रमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह" व शमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह" दर्ज कर दिया गया है जो कि लिपिकीय भूल से राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया है, प्रार्थीगण का नाम सही पाल कौर व रमनजीत सिंह ही है। प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में प्रार्थीगण का नाम जसपाल कौर व रमनदीपसिंह, शमनदीप सिंह दर्ज हुआ है जो कि लिपिकीय भूल से दर्ज कागजात हुआ है इसमें किसी प्रकार की कोई फर्जकारी नही की गयी है प्रार्थीगण कतई स्वच्छहस्त है, एव प्रार्थीगण का सही नाम पाल कौर व रमनजीत सिंह होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अलावा प्रार्थीगण के समी आवश्यक दस्तावेजात वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह में भी प्रार्थी संख्या 1 का नाम पाल कौर व प्रार्थी संख्या 2 का नाम रमनजीत सिंह दर्ज है। फोटो प्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व रिपोर्ट पंचायत हल्का संलग्न प्रार्थना पत्र है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 34 के एस डी जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 31/27 प.न. 45/115 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर, कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी में प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 का नाम "जसपाल कौर पत्नी



E. K. Sharma
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर "पाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख" व प्रार्थी संख्या 2 का नाम " रमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर " रमनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख " एवं चक 2 बी एन डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 32/24 प.न. 41/119 मु.न. 35 कि.न. 21 , प.न.41/120 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 5, 9, 10 में 1.771 है. नहरी मय खाला कुल खाता 2. 024 है. नहरी मय खाला आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर , कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज 1.012 है. आराजी में प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 का नाम " जसपाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर "पाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख " व प्रार्थी संख्या 2 का नाम " शमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर " रमनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख " दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी प्रार्थीगण के नाम से विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थीगण के नाम अलग रखे जाने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट में भी अंकन है कि प्रार्थीगण का प्रचलित नाम व रिकॉर्ड में नाम भिन्न भिन्न है। प्राप्त रिपोर्ट पर मौतबिरान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये है एव प्रार्थीगण के नाम के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में आराजी ब.हि.ब. दर्ज है, जिसके सम्बन्ध में कोई विरोध नही है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि- चक 34 के एस डी जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 31/27 प.न. 45/115 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर , कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी में प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 का नाम " जसपाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर "पाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख " व प्रार्थी संख्या 2 का नाम " रमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर " रमनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख " दर्ज किया जावे एवं चक 2 बी एन डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 32/24 प.न. 41/119 मु.न. 35 कि.न. 21 , प.न.41/120 मु.न. 42 कि.न. 1 ता 5, 9, 10 में 1.771 है. नहरी मय खाला कुल खाता 2.024 है. नहरी मय खाला आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एव राजविन्द्र कौर , कलविन्द्र कौर, मनप्रीत सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज 1.012 है. आराजी में प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 का नाम " जसपाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर "पाल कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जट सिख " व प्रार्थी संख्या 2 का नाम " शमनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख" के स्थान पर " रमनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जट सिख " दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



E. Singh
1.1.2022

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सादुलशहर

